

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)(समक्ष- मोहम्मद अजहर)क्लेम प्रकरण क्र. 33/16संस्थित दिनांक 01.09.2016

रामसिया उर्फ रामसिंह पुत्र पोहपसिंह आयु 56
वर्ष निवासी ग्राम नेनौली, तहसील गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0 आवेदक

बनाम

1. सुरेन्द्र पुत्र नारायण सिंह परिहार उम्र 32 वर्ष
निवासी ग्राम मकरेटा, थाना मौ, जिला भिण्ड म0प्र0
वाहन स्वामी मिनीबस क्रमांक एम.पी.-30-पी-0193
2. राजेश सिंह गुर्जर पुत्र पुलन्दर सिंह आयु 32 वर्ष
निवासी ग्राम गिरगांव थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0
वाहन चालक मिनीबस क्रमांक एम.पी.-30-पी-0193
3. शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी
लिमिटेड रजिस्टर्ड हैड ऑफिस 24 व्हाइट रोड
चैन्नई द्वारा:-शाखा कार्यालय पालका बाजार
ग्वालियर म0प्र0 बीमा कंपनी
..... अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता
अनावेदक क्रमांक-1 व व 2 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय।
अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री आर.के. बाजपेयी अधिवक्ता।

// अधि-निर्णय //(आज दिनांक 12.09.2017 को पारित)

1. यह क्लेम याचिका धारा-166 मोटरयान अधिनियम के तहत दिनांक 06.03.16 को दिन के 03:30 बजे के लगभग महिपाल यादव की मढ़ैया तथा प्रकाश यादव के खेत के सामने गोहद मौ रोड पर मौ में हुई मोटर वाहन दुर्घटना में आवेदक रामसिया को आई चोटों से उत्पन्न स्थाई निश्च्युता के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से या प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 1,00,000/-रुपए ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।
2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.03.16

को आवेदक दिन के 03:30 बजे के लगभग मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर से मौ से दवाई लेकर अपने गांव नैनौली जा रहा था। उसका भतीजा धर्मेन्द्र मोटरसाइकिल चला रहा था। सलमपुरा के पास पहुंचने पर मौ की तरफ से आ रही मिनीबस हरे नीले रंग की, के चालक राजेश सिंह अनावेदक क्रमांक 02 ने तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में पीछे टक्कर मार दी जिससे आवेदक को गंभीर चोटें आईं, जिसकी रिपोर्ट आवेदक के द्वारा थाना मौ में की गई। जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दुर्घटना से पूर्व आवेदक खेती के कार्य से 1,00,000/-रुपए प्रतिवर्ष की आय अर्जित करता था। उक्त दुर्घटना से आवेदक की पसलियों तथा कठनाली की हड्डी टूट गई, हड्डी टूटने से वह अपने कार्य करने में असमर्थ हो गया है, इलाज में भी काफी राशि खर्च हुई है। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 उक्त प्रश्नगत वाहन मिनीबस क्रमांक एम.पी.-07-पी-193 का स्वामी था तथा उक्त मिनीबस अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी में बीमित थी। उक्त आधारों पर अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 व 02 को विधिवत् तमिल होने के पश्चात अनावेदक क्रमांक 01 व 02 प्रकरण की कार्यवाहियों में अनुपस्थित हो गए। उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया। उनके द्वारा क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत कर क्लेम याचिका के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि यदि उक्त दिनांक को उक्त वाहन से उक्त दुर्घटना होना, अनावेदक क्रमांक 01 का वाहन स्वामी होना, अनावेदक क्रमांक 02 का चालक होना सिद्ध होता है तो यह आपत्ति की गई है कि उक्त दुर्घटना दिनांक को मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाने से उक्त दुर्घटना कारित हुई है। दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन क्रमांक एम.पी.-07/पी-0193 के चालक के पास उसको चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस, रूट परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था। इस प्रकार बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। मोटरसाइकिल चालक के पास भी मोटरसाइकिल को

चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। मोटरसाइकिल चालक की अंशदायी उपेक्षा रही है। उक्त आधारों पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्न वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दिनांक 06.03.16 को अनावेदक क्रं०-02 ने अनावेदक क्रं०-01 के स्वामित्व के वाहन को अनावेदक क्रं०-01 के नियोजन में रहते हुए वाहन मिनी बस क्रमांक-एम.पी.-07-पी.-0193 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक रामसिया उर्फ रामसिंह को टक्कर मार दी, जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई ?	प्रमाणित।
2- क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक रामसिया उर्फ रामसिंह की योगदायी उपेक्षा थी ?	अप्रमाणित।
3. क्या, उक्त दुर्घटना में आवेदक को गंभीर चोटें आकर उसे स्थाई निःशक्तता कारित हुई ?	स्थायी निशक्तता आना प्रमाणित नहीं, आवेदक को फ्रेक्चर होकर गंभीर चोट आना प्रमाणित।
4. क्या अनावेदक क्रं०-01 व 02 के द्वारा अनावेदक क्रं०-03 बीमा कंपनी से हुई बीमा की संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया ?	प्रमाणित। क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी अनावेदक क्रमांक 01 व 02 करेंगे। सर्वप्रथम बीमा कंपनी अनावेदक क्रं०-03 राशि की अदायगी करेगी तथा उक्त राशि अनावेदक क्रं०-01 व 02 बीमा कंपनी का अदा करेंगे।
5. क्या आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां तो किस दर से ?	आवेदक अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से 72,141/-रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित पाने का पात्र है।
6. सहायता एवं व्यय ?	क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02 :-

6. उपरोक्त वादप्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है, ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।
7. रामसिया उर्फ रामसिंह आ०सा०-01 ने यह बताया है कि दिनांक 06.

03.16 को दिन के 03:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर से मौ से दवाई लेकर ग्राम नैनौली आ रहा था। मोटरसाइकिल को उसका भतीजा धर्मेन्द्र चला रहा था, जैसे ही सलमपुरा के पास पहुंचे तो मौ की तरफ से आ रही मिनीबस हरे रंग का चालक राजेश सिंह गुर्जर उसे चलाकर लाया और तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वे गिर पड़े और आवेदक के दाहिने कंधे की कठनाली, पसली एवं कमर में चोट आकर खून निकला, अनावेदक राजेश सिंह उक्त मिनी बस को गोहद की तरफ भगाकर ले गया। दुर्घटना के बाद उसने थाना मौ में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी। उसकी उक्त साक्ष्य की पुष्टि धर्मेन्द्र सिंह आ०सा०-02 ने करते हुए दिनांक 06.03.16 को राजेश सिंह गुर्जर के द्वारा उक्त मिनी बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारना बताया है। शैलेन्द्र सिंह आ०सा०-03 ने भी घटना की पुष्टि की है। उसने उक्त वाहन मिनीबस का नंबर एम.पी.-07-पी.ओ.-193 होना बताया है।

8. आवेदक की ओर से प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-17 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं, जो संबंधित आपराधिक प्रकरणा की हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसके अनुसार घटना दिनांक 06.03.16 के दिन में 03:30 बजे की है तथा रिपोर्ट शाम 6 बजकर 10 मिनट पर कर दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट युक्तियुक्त समय में की गई होना प्रकट होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य है कि आवेदक अपने भतीजे धर्मेन्द्र के साथ मोटरसाइकिल पर आ रहा था। ग्राम सलमपुरा के आगे पहुंचने पर मौ की तरफ से आ रही हरे नीले रंग की बस के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 से उपरोक्त तीनों साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि होती है कि उक्त मिनीबस के चालक ने उपेक्षा अथवा उतावलेपन से मिनीबस को चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी।

9. प्र०पी०-07 का प्रमाणीकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 01 सुरेन्द्र सिंह अर्थात मिनीबस 407 क्रमांक एम.पी.-07-पी-0193 के स्वामी ने यह प्रमाणीकरण दिया है कि दिनांक 06.03.17 को ड्रायवर राजेश सिंह पुत्र पुलिंदर सिंह अर्थात अनावेदक क्रमांक 02 उक्त मिनी बस को चला रहा था और घटना के समय वही ड्रायवर था। इससे भी

इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दुर्घटना राजेश के द्वारा कारित की गई। प्र०पी०-13 के धर्मेन्द्र सिंह के, प्र०पी०-14 शैलेन्द्र सिंह का एवं प्र०पी०-15 सतेन्द्र सिंह के पुलिस कथन का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त कथित दुर्घटना के दूसरे ही दिन लिए गए हैं। जिसमें तीनों ने ही दुर्घटना कारित करने वाली हरे रंग की मिनी बस का नंबर एम.पी.-07-पी-0193 होना बातया है। प्र०पी०-18 के डिस्चार्ज टिकट एवं प्र०पी०-19 के प्रिस्क्रिप्शन से स्पष्ट है कि आवेदक को चोटें आई हैं।

10. रामसिया उर्फ रामसिंह आ०सा०-01 का पुलिस कथन दिनांक 06.03.16 को ही ले लिया गया था जिसके अनुसार उसे बस का नंबर एम.पी.-07-पी.-0193 भतीजे धर्मेन्द्र ने बताया था। इस मामले में अनावेदक क्रमांक 01 व 02 के द्वारा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त साक्षियों का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस बिन्दु पर आवेदक की साक्ष्य अखण्डनीय है।

11. इस मामले में पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया है और प्रथम दृष्टि में अनावेदक क्रमांक 02 राजेश सिंह को दोषी पाते हुए, प्र०पी०-01 का अभियोगपत्र धारा-297, 337 एवं 338 भा०द०सं० के तहत प्रस्तुत किया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक क्रमांक 02 राजेश सिंह ने उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की जिससे आवेदक को चोटें आई। ऐसी स्थिति में आवेदक की कोई योगदायी उपेक्षा होना भी प्रकट नहीं होता है।

12. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से न्याय दृ० श्रीमती झिंकी एवं अन्य बनाम बबलू उर्फ रामसिंह 2013 (2) ए.सी.सी. डी. 593 (इलाहबाद उच्च न्यायालय) प्रस्तुत किया है जिसमें ऐसा कोई साक्षी पेश नहीं किया गया था, जिसने दुर्घटना को देखा था तथा पंजीयन को पढ़ा था।

13. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से न्याय दृ० श्रीमती सरला देवी बनाम मूल चन्द्र एवं अन्य 2003 (11) दु.मु.प्र. 338 (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय) प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो वाहन का नंबर दिया था और न ही ड्रायवर का नाम दिया था और न ही मुख्य स्वतंत्र साक्षी का नाम दिया गया था।

14. बीमा कंपनी की ओर से न्याय दृ० ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम महिला कलावती एवं एक अन्य 2014 (I) ए.सी.सी.डी. 34 (एम.पी.) प्रस्तुत किया गया है। जिसमें दावाकर्तागण अभिकथित दुर्घटना अभिकथित ट्रक द्वारा कारित किया जाना सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे थे। परंतु हस्तगत मामले में आपराधिक प्रकरण के अनुसार भी दुर्घटना दिनांक 06.03.16 को ही प्रश्नगत वाहन का नंबर पता चल गया था। उक्त नंबर धर्मेन्द्र ने देखा था। अन्य व्यक्ति शैलेन्द्र सिंह एवं सतेन्द्र ने भी उक्त नंबर देखा है अतः ऐसी स्थिति में यह न्याया दृ० प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि अनावेदक क्रमांक 02 राजेश सिंह ने उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की जिससे आवेदक को चोटें आईं।

वादप्रश्न क्रमांक 03:-

15. आवेदक की ओर से स्थाई निशक्ता के संबंध में किसी भी चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई है और न ही कोई चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है। अतः ऐसी स्थिति में उसे स्थाई निशक्ता आना प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है। डिस्चार्ज टिकट प्र०पी०-18 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि क्लेविकल हड्डी में फ्रैक्चर होना पाया गया है। प्र०पी०-08 की एम.एल.सी. से स्पष्ट है कि आवेदक के दाहिनी तरफ क्लेविकल क्षेत्र में, सीधी कोहनी में, पैराइटल क्षेत्र में तथा सीने में चोटें आई हैं। एक्सरे परीक्षण में प्र०पी०-09 के अनुसार क्लेविकल हड्डी में तथा सीने में सीधी ओर पांचवीं एवं छठवीं पसली में फ्रैक्चर होना पाया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि आवेदक को उक्त दुर्घटना से फ्रैक्चर होकर गंभीर उपहति कारित हुई है।

वादप्रश्न क्रमांक 04:-

16. यह वादप्रश्न बीमा संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है। शिखर श्रीवास्वत अना०सा०-01 ने स्वयं को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रशासनिक अधिकारी के पद पद पदस्थ होना बताते हुए यह बताया है कि बस वाहन क्रमांक एम.पी.-07-पी.-0193 का बीमा पैसंजर कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में सुरेन्द्र सिंह के नाम से दिनांक 24.06.

15 से 23.06.15 तक के लिए किया गया है। उक्त वाहन के चालक राजेश सिंह के पास दिनांक 06.03.16 को उक्त बस ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने को वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार नहीं था।

17. शिखर श्रीवास्वत अना0सा0-01 ने यह भी बताया है कि चालक राजेश के ड्रायविंग लाइसेंस का सत्यापन आर.टी.ओ. कार्यालय भिण्ड से कराया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि चालक पर दिनांक 06.03.16 को मात्र एल.एम.व्ही. एन.टी. एवं मोटरसाइकिल चलाने का ड्रायविंग लाइसेंस था। परंतु ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का लाइसेंस बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार नहीं था। इस प्रकार बीमा पॉलिसी का उल्लंघन होने से बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। शेखर श्रीवास्वत अना0सा0-01 की ओर से बीमा पॉलिसी एवं चालक के ड्रायविंग लाइसेंस के पर्टीकूलर प्र0डी0-01 व प्र0डी0-02 प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि आर.टी.ओ. कार्यालय भिण्ड से प्राप्त होना बताए हैं।

18. जितेन्द्र बहादुर अना0सा0-02 ने आर.टी.ओ. कार्यालय भिण्ड में सहायक ग्रेड-03 के पद पर ड्रायविंग लाइसेंस शाखा में पदस्थ होना बताया है। उन्होंने यह बताया है कि राजेश का ड्रायविंग लाइसेंस क्रमांक एम.पी.30आर-2016-0127148 दिनांक 06.03.16 को एल.एम.व्ही. नॉन ट्रांसपोर्ट निजी वाहन एवं मोटरसाइकिल चलाने के लिए वैध होना बताया है। यह भी बताया है कि वह उक्त दिनांक को ट्रांसपोर्ट, व्यवसायिक वाहन चलाने के लिए उक्त लाइसेंस वैध नहीं था। ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए दिनांक 04.07.16 को पृष्ठांकन किया गया है। ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए उक्त लाइसेंस 04.07.16 से 03.07.19 तक वैध है। उक्त रिपोर्ट प्र0डी0-03 होना बताते हुए उसका पर्टीकूलर प्र0डी0-02 होना बताया है।

19. यह साक्षी उक्त विभाग में ही पदस्थ है और उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्र0डी0-03 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 02 चालक राजेश सिंह पुत्र पुलंदर सिंह निवासी गोहद जिला भिण्ड का ड्रायविंग लाइसेंस क्रमांक एम.पी.-30-आर.-2016-0127148 एल.एम.व्ही. नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए दिनांक 04.07.16 को जारी किया गया है जो दिनांक 03.07.19 तक वैध है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट व्हीकल के

लिए तीन साल के लिए लाइसेंस जारी है। दिनांक 27.07.16 को उस पर एण्डोर्समेंट किया गया है। आर.टी.ओ. कार्यालय से प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

20. प्र०डी०-०२ के अनुसार भी यही पर्टीकूलर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक 16.03.16 की स्थिति में ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस नहीं है। प्र०डी०-०१ की बीमा पॉलिसी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त बीमा पॉलिसी वाहन क्रमांक एम.पी.-०७-पी-०१९३ टाटा ४०७ मिनीबस की है, जो कि पैसेंजर केरिंग व्हीकल है। स्पष्ट है कि उक्त वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। बीमा पॉलिसी में उसे प्राइवेट व्हीकल न होकर पब्लिक व्हीकल के रूप में ही दर्शाया गया है।

21. बीमा पॉलिसी प्र०डी०-०१ की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त कैटेगरी के वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी और वैध एवं प्रभावी लाइसेंसधारी ही उक्त वाहन को चला सकेगा। प्र०डी०-०२ एवं प्र०डी०-०३ के अनुसार दुर्घटना दिनांक की स्थिति में अनावेदक क्रमांक ०२ चालक राजेश के पास उक्त मिनी बस को चलाने हेतु अर्थात् ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। अनावेदक क्रमांक ०१ व ०२ की ओर से ऐसा कोई ड्रायविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रमाणित कराया गया है, जो कि दुर्घटना दिनांक को वैध और प्रभावी हो। अनावेदक क्रमांक ०१ व ०२ की ओर से अनावेदक क्रमांक ०३ की उपरोक्त साक्ष्य का कोई खण्डन खण्डन भी नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक ०२ के पास उक्त मिनी बस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। इस कारण प्र०डी०-०१ की बीमा पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।

22. बीमा कंपनी की ओर से माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय की इन्दौर बेंच की एकल पीठ की मिसलेनियस अपील क्रमांक 2194/13 करन सिंह बनाम ओमप्रकाश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.15 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। जिसमें न्याय दृ० डिविजनल मैनेजर, न्यू इंडिय इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम विनायगा मूर्ति एवं अन्य 2010 ए.सी.जे. 1605 को रेफर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 142

भारतीय संविधान के तहत अधीनस्थ न्यायालयों को एक्सट्रा ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन का प्रयोग करते हुए पे एण्ड रिकवर का आदेश दिए जाने की अधिकारिता नहीं है।

23. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम ब्रजमोहन ए आई आर 2007 एस सी 1971, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम कमला 2001(एस सी)1419, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम स्वर्णसिंह 2004 ए सी जे 1, कुसुमलता बनाम सतवीर ए आई आर 2011 एस सी 1234 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत पुष्पा देवी बनाम कमल सिंह 2002(2) टी ए सी 374 अवलोकनीय है।
24. बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायदृष्टांत वाले मामलों में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वाक्त वर्णित न्यायदृष्टांत को विचार में नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक-3 की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि अधिकरण को अदा करे एवं वसूली के सिद्धांत के अनुसार आदेश देने का अधिकार नहीं है।
25. न्याय दृष्टांत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम दर्शनादेवी ए आई आर 2008 एस सी सप्लीमेंट 1639 में चालक के पास वैध चलान अनुज्ञप्ति नहीं थी। अधिकरण ने बीमा कम्पनी को पहले भुगतान करने और फिर वसूलने के निर्देश दिये जो हस्तक्षेप योग्य नहीं पाये गये। न्याय दृष्टांत ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम मंगल काले मध्यप्रदेश राज्य ए आई आर 2009 एस सी 2151 के मामले में चालक के पास हल्के मोटर यान चालन की चालन अनुज्ञप्ति थी, परन्तु परिवहन यान चलाने की चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी। इसे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना गया तथा बीमा कम्पनी को पहले तृतीय पक्ष को प्रतिकर अदा करने और फिर उसे मालिक से वसूल करने के निर्देश दिये गये।
26. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन सदस्य खण्डपीठ के द्वारा निर्धारण न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी

लिमिटेड बनाम स्वर्णसिंह ए आई आर 2004 (3) एस सी सी 297

अवलोकनीय है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पे एण्ड रिकवर का सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

27. भुगतान करें और वसूलें का सिद्धांत न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम स्वर्णसिंह ए आई आर 2004 (3) एस सी सी 297** तीन न्यायामूर्तिगण की पीठ में निर्णय पैरा 105 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी रखना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त वाहन के स्वामी अनावेदक क्रमांक-1 एवं वाहन की बीमा कम्पनी अनावेदक क्रमांक-3 के मध्य जो बीमा संविदा हुई है उसके परिपेक्ष्य में तृतीय पक्ष को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करवाये जाने का अप्रत्यक्ष दायित्व अनावेदक क्रमांक-3 पर भी अधिरोपित किये जाते हुये बीमा कम्पनी द्वारा अदा की गई क्षतिपूर्ति की राशि को वाहन स्वामी अनावेदक क्रमांक 01 व एवं चालक अनावेदक क्रमांक 02 से वसूल किये जाने का अधिकार उसे प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

28. ऐसी स्थिति में आवेदक तृतीय पक्ष की श्रेणी में होने से उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में क्षतिपूर्ति की राशि पहले बीमा कंपनी द्वारा अदा किए जाने तथा उसके पश्चात बीमा कंपनी द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से उक्त राशि वसूल किए जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः सर्वप्रथम बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 आवेदक को उक्त क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करेगी और उसके पश्चात उक्त क्षतिपूर्ति की राशि अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से इसी प्रकरण की निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से वसूल करेगी।

वादप्रश्न क्रमांक-05:-

29. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक रामसिया उर्फ रामसिंह को उक्त दुर्घटना में पांचवी व छठवीं पसली में तथा क्लेविकल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया है। डिस्चार्ज टिकट प्र०पी०-18 के अनुसार के अनुसार दिनांक 06.03.16 को उसे भर्ती किया गया है और दिनांक 07.03.16 को उसे डिस्चार्ज किया गया है। इस प्रकार वह दो दिवस जिला अस्पताल भिण्ड में भर्ती रहा है। उसका इलाज चला है। केशमेमो प्र०पी०-32 दिनांक 19.08.16 का है। इस प्रकार लगभग पांच छः माह उसका

इलाज चला है। अतः शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक वेदना की मद में 40,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है।

30. रामसिया अ०सा०-01 की ओर से प्र०पी०-35 की भूअधिकार श्रण पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी, जिसकी फोटोप्रति प्र०पी०-35सी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रामसिया पुत्र पोहपसिंह के नाम से 3.56 हेक्टे की भूमि है। क्लेम याचिका के पैरा-10 में उसने यह बताया है कि उसका नाम रामसिंह है और उसे रामसिया भी कहते हैं। क्लेम याचिका में उक्त 17 बीघा भूमि से खेती कर 1,00,000/-रुपए प्रतिवर्ष की आमदनी होना बताया है। जहां कि उसके द्वारा कृषि भूमि की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की फोटोप्रति पेश की गई है और उसका कोई विशेष खण्डन नहीं किया गया है। तब ऐसी स्थिति में आवेदक की कृषि से आय होना प्रकट होती है। परंतु उक्त भूमि को देखते हुए उसकी आय 6,000/-रुपए प्रतिमाह की दर से मान्य की जाती है।

31. आवेदक के उपरोक्त तीनों फ्रेक्चर को देखते हुए आवेदक लगभग तीन माह तक अपने सामान्य कार्य करने से विरत रहा होगा। अतः उसे तीन माह की आय की हानि 18,000/-रुपए दिलाया जाना न्यायोचित है। उक्त 18,000/-रुपए की राशि आवेदक को दिलाई जाती है।

32. आवेदक दो दिवस भर्ती रहा है तथा भिण्ड में इलाज हुआ है, आने-जाने के संबंध में प्र०डी०-21, प्र०डी०-21 एवं प्र०डी०-22 की 2,000-2,000/-रुपए की रसीदें पेश की गई हैं, परंतु उक्त रसीदों में यह वर्णित नहीं है कि किस वाहन से गए और किस वाहन से आए। अतः उक्त रसीदों के अनुसार आवागमन एवं परिवहन की राशि प्रदान नहीं की जा सकती है। विशेष आहार के मद में आवेदक को 1,000/-रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आवागमन एवं परिवहन के मद में 4,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है। तीन माह तक अपने सामान्य कार्य से विरत रहने पर किसी न किसी ने अवश्य उसे अटेण्ड किया होगा। अतः अटेण्डर के मद में 7,000/-रुपए की राशि दिलाई जाती है।

33. आवेदक को इलाज का व्यय भी दिलाया जाना न्यायोचित है। प्र०पी०-22 का केशमेमो 150/-रुपए का, प्र०पी०-24 का 145/-रुपए का,

प्र०पी०-27 का 415/-रुपए का, प्र०पी०-28 का 410/-रुपए का, प्र०पी०-29 का 573/-रुपए का, प्र०पी०-30 का 3/-रुपए का, प्र०पी०-31 का 148/-रुपए का, प्र०पी०-32 का 149/-रुपए का, प्र०पी०-33 का 148/-रुपए का केशमेमो है। उक्त कुल राशि 2,141/-रुपए होती है, जो इलाज के व्यय के रूप में आवेदक को दिलाई जाती है।

34. इस प्रकार आवेदक अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से निम्नानुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है:-

क्रमांक	मद	राशि
1	उपचार में किए गए व्यय की कुल राशि	2,141 / -
2	शरीरिक पीड़ा एवं मानसिक वेदना के मद में	40,000 / -
3	अटेंडर के मद में	7,000 / -
4	तीन माह की आय की हानि	18,000 / -
5	आवागमन एवं परिवहन के मद में	4,000 / -
6	विशेष आहार के मद में	1,000 / -
कुल क्षतिपूर्ति राशि		72,141 / -

वादप्रश्न क्रमांक-05 सहायता एवं व्यय:-

35. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अपना मामला आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः यह क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आवेदक के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 आवेदक को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि **72,141/- (बहत्तर हजार एक सौ इकतालीस) रुपए** अधिनिर्णय दिनांक 12.09.2017 से दो माह के अंदर अदा करे।
2. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 क्लेम याचिका प्रस्तुति दिनांक 01.09.2016 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आवेदक को साधारण ब्याज की राशि भी अदा करे।

3. आवेदक को उपरोक्त क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने का प्रथम दायित्व बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 का होगा। अनावेदक क्रमांक 03 उक्त राशि अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अनावेदक क्रमांक 03 उक्त राशि आवेदक को अदा करने के पश्चात अनावेदक क्रमांक 01 व 02 द्वारा राशि अदा नहीं करने पर उनसे इसी प्रकरण की निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से वसूल करेगी।

4. आवेदक को क्षतिपूर्ति की राशि एवं उस पर ब्याज की संपूर्ण राशि बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।

5. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 अपना स्वयं का तथा आवेदक का वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क वहन करेंगे। अनावेदक क्रमांक 03 अपना स्वयं का वाद व्यय वहन करेगी। अभिभाषक शुल्क 1,000/-रुपए (एक हजार रुपए) निर्धारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड